



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1945 (श10)

(सं० पटना 689) पटना, सोमवार, 21 अगस्त 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2023

एस० ओ० 232, दिनांक 21 अगस्त 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 04 दिनांक 02 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10, दिनांक 02 जनवरी, 2018, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सातवें परंतुक में, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "30 जून, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "31 अगस्त, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)24)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 अगस्त 2023

एस० ओ० 232, दिनांक 21 अगस्त 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

**[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 24)]**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

---

**The 18<sup>th</sup> August 2023**

S.O. 232, Dated 21<sup>st</sup> August 2023—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 4, dated the 02nd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10, dated the 02nd January, 2018, namely:-

In the said notification, in the seventh proviso, for the words, letter and figure “30th day of June, 2023” the words, letter and figure “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)24)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr.Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)689-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>